[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क

अधिसूचना
सं. 38/2023-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 4 अगस्त, 2023

सा.का.नि.-------(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने से लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के उपनियम(1) के परन्तुक में वृहत पंक्ति में "उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 10क में "किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर" शब्दों और अंकों से शुरु होने वाले भाग और "कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्;-

" रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से तीस दिन की अवधि की भीतर, या प्ररुप जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने से पहले, जो भी पूर्वत्तर हो सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते के ब्यौरे के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा" ।

4. उक्त नियमों के नियम 21क में,-

(i) उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्;

"(2क) जहां-

(क) धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे या उसके आपूर्तिकर्ता के द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित आवक प्रदायों के ब्यौरे, या ऐसे अन्य विशलेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, या

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है,

ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को उक्त अंतर और विसंगतियों या अननुपालनों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर संशोधित पते पर इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।";

(ii) उपनियम(4) में दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;-

"परन्तु यह भी कि जहां नियम 10क के उपबंधों के उल्लघंन के लिए उपनियम (2क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण को निलंबित किया गया है और नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को नियम 10क के उपबंधों के अनुपालन में प्रतिसंहरण किया हुआ माना जाएगा । "।

5. उक्त नियमों के नियम 23 के उपनियम(1) में, तारीख 01अक्तूबर, 2023 से-

(क) "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामिल की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामिल की तारीख से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएगे;

(ख) पहले परंतुक में, "परन्तु" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् ;

" परन्तु ऐसी अवधि का पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जो यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की रैंक से नीचे का न हो, एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की किसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी:

परन्तु यह और कि";

(ग) दूसरे परन्तुक में, "परन्तु यह और" शब्दों के स्थान पर "परन्तु यह भी" शब्द रखे जाएगें।

6. उक्त नियमों के नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"25. कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन-

(1) जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्ररीकरण प्रदान करने के पश्चात् किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो वह कारबार के स्थान का सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पंद्रह कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररुप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(2) जहां नियम 9 के उपनियम (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में रजिस्ट्ररीकरण प्रदान करने से पहले किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो समुचित अधिकारी कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट समयावधि के पूर्ण होने से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व प्ररुप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।"।

7. उक्त नियमों के नियम 43 में, उपनियम (5) के पश्चात-

(क) स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 3:- नियम 42 और इस नियम के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 के उप-पैरा (क) में उल्लिखित ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिन्हें अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन छूट प्राप्त आपूर्तियों के मूल्य में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, का मूल्य अंर्तराष्ट्रीय विमान पत्तनों में आने वाले यात्रियों के लिए पहुंच टर्मिनल पर शुल्क रहित दुकानों से मालों की आपूर्ति का मूल्य होगा।"।

(8) उक्त नियमों के नियम 46 खंड (च) के परंतुक में, "प्राप्तिकर्ता का नाम और पता के साथ उसका पिन कोड और राज्य के नाम शामिल करना होगा और उकत् पते को प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड पर पता समझा जाएगा" शब्दों के स्थान पर "प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम और इसे प्राप्तकर्ता के अभिलेख में पते के रुप में समझा जाएगा" शब्द रखे जाएगें;

9. उक्त नियमों के नियम 69 के उपनियम (6) के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ङ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे किसी कर अवधि या अवधियों के संबंध में नियम 88घ के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन सामान्य पोर्टल पर कोई इत्तला जारी की गई है, को प्ररुप जीएसटी-1 में धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरें प्रस्तुत करने या किसी पश्चातवर्ती कर अवधि के लिए बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह या तो उक्त इत्तला में यथा विनिर्दिष्ट अधिक इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य रकम को संदत्त नहीं करता है या नियम 88घ के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित अधिक इनपुट कर प्रत्यय की रकम जिसका संदाय किया जाना अभी शेष है, के संबंध में कारणों को स्पष्ट करते हुए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करता है;

(च) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररुप जीएसटी-1 में धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरें प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसने नियम 10क के उपबन्धो के अनुसार बैंक खाते के ब्यौरें प्रस्तुत नहीं किए हैं।"।

10. उक्त नियमों के नियम 64 में, 01 अक्टूबर 2023 से "भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "भारत से बाहर किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधीनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्द रखे जाएगें ।

11. उक्त नियमों के नियम 67 के उपनियम (2) में, 01 अक्तूबर, 2023 से "उपनियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उपनियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर एकत्र कर के ब्यौरे" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

12. उक्त नियमों के नियम 88ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"88घ. इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय और जो विवरणी में उपलब्ध है, में भिन्नता से व्यौहार करने की रीति.-

(1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रस्तुत कर अवधि या अवधियों के लिए विवरणी में उसके द्वारा उपलभ्य इनपुट कर प्रत्यय की रकम, उक्त कर अवधि या अवधियों की बाबत प्ररूप जीएसटीआर 2ख में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उपलभ्य इनपुट कर प्रत्यय, यथास्थिति, ऐसी रकम या ऐसे प्रतिशत जो परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, से अधिक है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में ऐसी भिन्नता की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना की एक प्रति उसे उक्त भिन्नता दर्शित करते हुए और-

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त प्ररूप जीएसटीआर-3ग में उपलभ्य इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य में समतुल्य रकम को सात दिन की अवधि के भीतर संदत्त करेगा, या

(ख) सामान्य पोर्टल इनपुट कर प्रत्यय में उपरोक्त भिन्नता के लिए कारण वर्णित करने, का निदेश देते हुए सात दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के समय प्रदान किए गए या समय-समय पर यथा संशोधित उसके ई-मेल पते पर भी सात दिन की अवधि के भीतर भेजी जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपनियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, या तो,

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज की रकम के साथ पूर्णत: या भागत: प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में यथा विनिर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य के समतुल्य रकम उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त करेगा और उसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग ख में प्रस्तुत करेगा, या

(ख) इनपुट कर प्रत्यय के आधिक्य की रकम जो अभी तक संदत्त किए जाने के लिए शेष है, यदि कोई हो, की बाबत कारण सम्मिलित करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग ख में इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट कोई रकम, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त किए जाने से शेष रह जाती है और ऐसी चूक के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या कारण समुचित अधिकारी द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो उक्त रकम, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार मांग के लिए दायी होगी ।"।

13. उक्त नियमों के नियम 89 में,-

(क) उपनियम (1) के तीसरे परंतुक में "उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अंतिम विवरणी में" शब्दों के स्थान पर "इस प्रकार प्रस्तुत की गई उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित अंतिम विवरणी में" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपनियम (2) के खंड (ट) में "ऐसा कथन जो कर" शब्दों के स्थान पर "ऐसा कथन जो कर और ब्याज, यदि कोई हो, या संदत्त की गई किसी अन्य रकम" शब्द रखे जाएंगे ।"

14. उक्त नियमों में नियम 94 को 1 अक्तूबर, 2023 से उपनियम (1) के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुर्नसंख्यांकित उपनियम के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(2) निम्नलिखित अवधियां, उपनियम (1) के अधीन देरी की अवधि में सम्मिलित नहीं की जाएगी, अर्थात्:-

(क) नियम 92 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 08 में सूचना की प्राप्ति से पंद्रह दिवस से आगे की कोई समय अवधि, जो आवेदक-

(i) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-09 का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने, या

(ii) अतिरिक्त दस्तावेज या प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने,

में लेता है; और

(ख) ऐसी कोई समयावधि, जो या तो आवेदक द्वारा उस बैंक खाते, जिसमें प्रतिदाय जमा किया जाना है, के सही ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए या इस प्रकार प्रस्तुत बैंक खाते के ब्यौरों को विधिमान्य करने के लिए ली गई, जहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते में स्वीकृत प्रतिदाय की रकम जमा नहीं हो सकी थी ।" ।

15. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (2) के दोनों परंतुकों का लोप किया जाएगा ।

16. उक्त नियमों के नियम 108 के उपनियम (1) में,-

(क) "इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल की जाएगी" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में शारीरिक रूप से फाइल की जा सकेगी, यदि

(i) आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या

(ii) उसे सामान्य पोर्टल पर उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है,

और ऐसी दशा में एक अनंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी ।" ।

17. उक्त नियमों के नियम 109 के उपनियम (1) में

(क) "इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल किया जाएगा जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में शारीरिक रूप से फाइल की जा सकेगी, यदि

(i) आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या

(ii) उसे सामान्य पोर्टल पर उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है,

और ऐसी दशा में एक अनंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी ।" ।

18. उक्त नियमों में, नियम 138ङ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"138च. सोने, मूल्यवान पत्थर, आदि के अंतरराज्यीय संचलन की दशा में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और उनके ई-वे बिलों का जनन.-

(1) जहां-

(क) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर नियम के नियम 138च के उपनियम(1) के अनुसार, नियम 138 के उपनियम (14) से संलग्न उपाबंध की क्रम संख्या 4 और क्रम संख्या 5 के सामने विनिर्दिष्ट माल के अंतरराज्यीय संचलन के संबंध में सूचना प्रस्तुत किए जाने को आज्ञापक बनाता है, और

(ख) ऐसे माल का पारेषण मूल्य दो लाख रुपए से कम न हो, जो राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त, अधिकारितायुक्त प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई केन्द्रीय कर आयुक्त के परामर्श से अधिसूचित करेगा,

नियम 138 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो ऐसे माल का अंतरराज्यीय संचलन करता है,-

(i) पूर्ति के संबंध में; या
(ii) पूर्ति से भिन्न कारणों से; या
(iii) अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण,

उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर ऐसे संचलन के प्रारंभ से पहले ऐसे माल के संबंध में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में यथा विनिर्दिष्ट सूचना इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए एक विशिष्ट संख्या जनित होगी:

परंतु जहां परिवहन किए जाने वाले माल की पूर्ति ई-वाणिज्य प्रचालक या कूरियर अभिकरण के माध्यम से की जाती है, सूचना, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में ऐसे इ-वाणिज्य प्रचालक या कूरियर अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(2) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में यथा विनिर्दिष्ट सूचना उपनियम (1) में निर्दिष्ट माल के संचलन की बाबत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, ई-वे बिल प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से जनित होगी ।

(3) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में दी गई जानकारी सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत प्रदाता को उपलब्ध कराई जाएगी, जो प्ररूप जीएसटीआर-1 में विवरण प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग कर सकेगा ।

(4) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है, किन्तु माल या तो परिवहन नहीं किया गया है या ई-वे बिल में दिए गए विवरण के अनुसार परिवहन नहीं किया गया

है, तो ई-वे बिल सृजित होने के चौबीस घंटे के भीतर सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रद्द किया जा सकेगा :

परंतु ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा, यदि यह नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अभिवहन में सत्यापित हो चुका हो ।

(5) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई ई-वे बिल सृजित करना वहां अपेक्षित नहीं होगा,-

(क) जहां सीमा शुल्क द्वारा निकासी के लिए माल को सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो परिसर और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक ले जाया जा रहा है;

(ख) जहां माल परिवहन किया जा रहा है-

(i) एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन से एक सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन तक, या एक सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क बंदरगाह से दूसरे सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क बंदरगाह तक सीमा शुल्क बांड के अधीन; या

(ii) सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के अधीन या सीमा शुल्क मुहर के अधीन ।

(6) नियम 138, नियम 138क, नियम 138ख, नियम 138ग, नियम 138घ और नियम 138ङ के उपनियम (10), उप-नियम (11) और उप-नियम (12) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, माल के खेप मूल्य से ऐसा मूल्य अभिप्रेत है जो उक्त खेप के संबंध में, उक्त खेप के संबंध में जारी, यथास्थिति, किसी बीजक, आपूर्ति बिल या परिदत्त बीजक में घोषित, धारा 15 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाए और इसके अंतर्गत दस्तावेज़ में प्रभार्य केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर भी सम्मिलित हैं और इसमें ऐसे माल की छूट वाली आपूर्ति के मूल्य को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जहां माल की छूट और कर योग्य आपूर्ति दोनों के संबंध में बीजक जारी किया गया है। "।

19. उक्त नियमों में, नियम 142क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"142ख. अधिनियम की धारा 79 के अधीन वसूली किए जाने योग्य कतिपय रकम की संसूचना-(1) जहां, नियम 88ग के साथ पठित धारा 75 के अनुसार या अन्यथा, कर या ब्याज की कोई रकम धारा 79 के अधीन वसूली योग्य हो और वह असंदत्त रह गई हो, तो उचित अधिकारी सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01घ में उक्त रकम के ब्यौरे सूचित करेगा, चूक करने वाले व्यक्ति को, रकम का संदाय, यथास्थिति, लागू ब्याज सहित या ब्याज की रकम का संदाय करने का निर्देश देगा । उक्त सूचना की तारीख से सात दिनों के भीतर और उक्त रकम प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर के भाग- 22 में पोस्ट की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को वसूली के लिए नोटिस माना जाएगा।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निर्दिष्ट कर या ब्याज की कोई भी रकम उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर संदाय नहीं की जाती है, वहां उचित अधिकारी उस रकम की वसूली, जो असंदत्त रह गई है, नियम 143 या

नियम 144 या नियम 145 या नियम 146 या नियम 147 या नियम 155 या नियम 156 या नियम 157 या नियम 160 के उपबंधों के अनुसार करेगा ।

20. उक्त नियम के नियम 162 में, 1 अक्टूबर, 2023 से --

(क) उपनियम (3) में, "उसके समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया है और'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3क) आयुक्त, नीचे दी गई सारणी के अनुसार उपनियम (3) के अधीन शमनीय रकम अवधारित करेगा: -

क्र.सं.	**अपराध**	**यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम**	**यदि अपराध धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन दंडनीय है तो शमनीय रकम**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपराध	कर अपवंजन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पचहत्तर प्रतिशत तक, ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के न्यूनतम पचास प्रतिशत के अधीन रहते हुए ।	कर अपवंजन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के साठ प्रतिशत तक, ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के न्यूनतम चालीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए ।
2	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अपराध		
3	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपराध		
4	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट अपराध		
5	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध	कर अपवंचन के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम । .	कर अपवंचन के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम । .
6	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) में		

	विनिर्दिष्ट अपराध		
7	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ज) में विनिर्दिष्ट अपराध		
8	अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग) से खंड (च) और खंड खंड (ज) और (झ) में उल्लिखित अपराध करने का प्रयास या अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम	ऐसे कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से अभिप्राप्त या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से लिए गए प्रतिदाय की रकम के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम

परंतु जहां व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट एक से अधिक प्रवर्गों के अधीन आता है, वहां ऐसी दशा में, शमनीय रकम, उस अपराध के लिए अवधारित रकम, जिसके लिए उच्चतर शमनीय रकम विहित की गई है, होगी ।

21. उक्त नियमों में, नियम 162 के पश्चात्, 1 अक्टूबर, 2023 से निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

"163. जानकारी का सहमति आधारित साझाकरण.- (1) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित में दी गई जानकारी साझा करने का विकल्प चुनता है-

(क) समय-समय पर यथासंशोधित प्ररूप जीएसटी आरईजी-01;

(ख) कतिपय कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी;

(ग) समय-समय पर यथासंशोधित, उसके द्वारा जारी बीजकों, नामे नोट और जमापत्र से संबंधित कुछ कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर -1,

धारा 158क (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुरोध प्रणाली" कहा गया है) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रणाली के साथ, अनुरोध करने वाली प्रणाली ऐसी जानकारी साझा करने के लिए उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति अभिप्राप्त करेगी और सामान्य पोर्टल पर कर अवधि ब्यौरों सहित सहमति संसूचित करेगी ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के खंड (ग) के अधीन जानकारी साझा करने के लिए अपनी सहमति अनुरोधकर्ता प्रणाली के साथ ऐसी जानकारी साझा करने के लिए केवल तभी देगा जब वह उन सभी प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त कर लेगा, जिन्हें उसने उक्त कर अवधि के दौरान बीजक, जमापत्र और नामे नोट जारी किए हैं और जहां वह अपनी सहमति प्रदान करता है, वहां ऐसे प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त की गई मानी जाएगी।

(3) सामान्य पोर्टल उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी उक्त प्रणाली से प्राप्त होने पर अनुरोधकर्ता प्रणाली के साथ संचार करेगा-

(क) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति; और

(ख) यथास्थिति, कर अवधि या प्राप्तकर्ताओं का विवरण, जिसके संबंध में जानकारी अपेक्षित है।

22. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-3क में, अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" या

वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर व्यतिक्रमी को धारा 46 के अधीन विवरणी भरने का नोटिस

वित्तीय वर्ष - विवरणी का प्रकार : जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9क

एक रजिस्ट्रीकृत करदाता होने के कारण, आपको की गई या प्राप्त की गई आपूर्ति के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना होगा और/या उपरोक्त वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक स्व-प्रमाणित सुलह विवरण शामिल करना होगा। उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख समाप्त हो गई है और यह देखा गया है कि आपने आज तक उक्त विवरणी फाइल की है ।

2. अत:, आपसे अनुरोध है कि आप 15 दिनों के भीतर उक्त विवरणी फाइल करें, जिसके न होने पर, विधि के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने सहित उचित कार्रवाई की जाएगी ।

3. यदि ऊपर उल्लिखित विवरणी, शास्ति कार्यवाही का कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले आपके द्वारा फाइल की गई है, तो यह नोटिस वापस ले लिया गया माना जाएगा ।

4. यह एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। ''

23. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-5क में, 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त,--

(i) शीर्षक में, "ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस अभिगमन का प्रदाय या भारत में और कराधेय व्यक्ति से पुनः प्राप्ति सेवाओं के ब्यौरे "शब्दों के स्थान पर," भारत से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता (एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में यथा परिभाषित) और भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति के ब्यौरे" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"4. अवधि: महीना - ..... वर्ष .....

4(क) एआरएन :

4(ख) एआरएन की तारीख : .....";

(iii) क्रम संख्या 5 में, "उपभोक्ता" शब्द के स्थान पर, "गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) क्रम संख्या 5क में, "व्यक्तियों" शब्द के स्थान पर, "ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) क्रम संख्या 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"5ख. गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त, भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई कराधेय बाहरी आपूर्ति, जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ती भार के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है ।

(रकम रुपए में)

जीएसटीआईएन	कर योग्य मूल्य
1	2

5ग. गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त, भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई कर योग्य बाहरी आपूर्ति में संशोधन, जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ती भार के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है ।

(रकम रुपए में)

मास	मूल जीएसटीआईएन	संशोधित जीएसटीआईएन	कर योग्य मूल्य
1	2	3	4
			";

24. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-8 में, 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त,--

(क) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् ;--

"3.1. अरजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई आपूर्ति का विवरण

आपूर्तिकर्ता का नामांकन संख्या	की गई आपूर्ति का सकल मूल्य	लौटाई गई आपूर्ति का मूल्य	आपूर्ति का शुद्ध मूल्य
1	2	3	4
			";

(ख) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् ;--

"4.1. अरजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई आपूर्ति के विवरण में संशोधन

मूल विवरण			संशोधित विवरण		
मास	आपूर्तिकर्ता का नामांकन संख्या	आपूर्तिकर्ता का नामांकन संख्या	की गई आपूर्ति का सकल मूल्य	लौटाई गई आपूर्ति का मूल्य	आपूर्ति का शुद्ध मूल्य
1	2	3	4	5	6

					”।

25. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, 'अनुदेश' शीर्षक के अधीन,--

(क) पैरा 4 में,---

(अ) "या वित्तीय वर्ष 2021-22" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या वित्तीय वर्ष 2022-23" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) सारणी के दूसरे स्तंभ में,--

(I) क्रम संख्या 5घ, 5ङ और 5च के सामने, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् ;--

'वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को गैर-जीएसटी आपूर्ति (5च) की अलग से रिपोर्ट करनी होगी और उसके पास अपनी आपूर्ति को छूट प्राप्त और शून्य रेटेड आपूर्ति के रूप में अलग से रिपोर्ट करने का विकल्प होगा या केवल "छूट" पंक्ति में इन दोनों शीर्षों के लिए समेकित जानकारी की रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।';

(II) क्रम संख्या 5ज, 5झ और 5ञ और 5ट के सामने, "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्द के स्थान पर, क्रमशः "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 5 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में,--

(अ) क्रम संख्या 6ख, 6ग, 6घ और 6 ङ के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22", शब्दों और अंकों के स्थान पर, क्रमशः "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने, "2020-21 और 2021-22" अकों और शब्द के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) पैरा 7 में,--

(अ) "30 नवंबर, 2022 तक फाइल" अंकों और शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, भाग V में पिछले वित्तीय वर्ष के लेनदेन का विवरण शामिल है, लेकिन अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक 30 नवंबर, 2023 तक फाइल किए गए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में भुगतान किया गया है।";

(आ) सारणी के दूसरे स्तंभ में,--

(I) क्रम सं. 10 एवं 11 के सामने, अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले से घोषित किसी भी आपूर्ति में परिवर्धन या संशोधन का विवरण, लेकिन ऐसे संशोधन अप्रैल, 2023 के **प्ररूप जीएसटीआर1** की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे । अक्टूबर, 2023 से 30 नवंबर, 2023 तक फाइल की गई जानकारी यहां घोषित की जाएगी ।'';

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, -

(i) "30 नवंबर, 2022 तक" अंकों और शब्दों के पश्चात् यहां घोषित किया जाएगा। इन विवरणों को भरने के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकता है ।", निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- -

"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, आईटीसी के उलटाव के संकलित मूल्य जो पिछले वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किंतु अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के महीनों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक विवरणी में उलटाव किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । **प्ररूप जीएसटीआर-3ख की** सारणी 4 (ख) का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है।"

(ii) "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने, -

(i) "वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनः दावा करने, ऐसे दावा किए गए आईटीसी के ब्यौरे वार्षिक विवरणी वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत किया जाएगा" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

पिछले वित्तीय वर्ष में, प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, किंतु अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के महीनों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक फाइल किए गए विवरणी में आईटीसी का लाभ उठाया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(क) का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, कोई भी आईटीसी जो धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे उपबंध के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में उलट दिया गया था, किंतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः दावा किया गया था, ऐसे पुनः दावा किए गए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक विवरणी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ";

(ii) "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्दों के स्थान पर "2020-21, 2021-22 और 2022-23 अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में,-

(क) (1) 15क, 15ख, 15ग, और 15घ ; और

(2) 15ङ, 15च और 15छ

क्रम संख्या के सामने,-

"2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमश: "2020-21, 2021-22 और 2022-23 अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।";

(ख) क्रमसंख्यांक 16क, 16ख और 16ग के सामने "2020-21 और 2021-22" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर क्रमश: "2020-21, 2021-22 और 2022-23 अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।";

(ग) क्रम संख्यांक 17 और 18 के सामने "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए " शब्द, अक्षर और आंकड़ों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए" शब्द अक्षर और आंकड़े रखे जाएंगे ।

26. उक्त नियम में, प्ररुप जीएसटीआर -9ग में,-

(i) भाग क में सारणी में

(क) क्रमसंख्या 9 में, ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"ख-1	6%					।";

(ख) क्रम संख्या 11 में, वर्णन "5%" के प्रश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा,-

"6%					।";

(ग) भाग 5 में वर्णन "5%" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात, :-

"6%					।";

(ii) 'अनुदेश' शीर्ष के अधीन,-

(क) पैरा 4 में सारणी में, दूसरे स्तंभ में क्रम संख्या 5ख के सामने "2020-21 और 2021-22" के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" आंकड़े और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 6 में सारणी में, दूसरे स्तंभ में क्रम संख्या 14 के सामने "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

27. उक्त नियमों में, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** में, उपाबंध 1 में विवरण-साक्ष्य के अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"

क्र. सं.	दस्तावेज/बीजक के ब्यौरे			संदत्त रकम के ब्यौरे						दावा किए गए रिफंड के ब्यौरे					
	दस्तावेज का प्रकार	क्षेत्र सं.	तारीख	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/सं.राज्य	उपकर	ब्याज	कोई अन्य (कृपया	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/सं.राज्य	उपकर	ब्याज	कोई अन्य (कृपया

						क्षेत्रकर			विनिर्दिष्ट करें)			क्षेत्रकर			विनिर्दिष्ट करें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

";

28. उक्त नियम में, प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग

[नियम 88घ देखें]

भाग - क (प्रणाली जनित)

इनपुट कर प्रत्यय और विवरणी में उपभोग किए जाने वाले ब्यौरे में अंतर्विष्ट स्वत: जनित कथन में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय में अंतर की जानकारी

निर्देश संख्या: तारीख:

जीएससटीआईएन

विधिक नाम :

1. यह देखा गया है कि आपके द्वारा विवरणी में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में उपयोग करते हुए, …….. रुपए की रकम द्वारा <> से <> तक की अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-2ख** में आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे में अंतर्विष्ट स्वत:जनित विवरण के अनुसार आपके लिए इनपुट कर प्रत्यय की उपलब्ध रकम अधिक है। जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, -

प्ररुप प्रकार	उपलब्ध/उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय (रुपए में)				
	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटी जीएसटी	उपकर	कुल
प्ररुप जीएसटीआर-2ख					
प्ररुप जीएसटीआर-					

3ख					
अधिक उपभोग किया गया निवेश कर क्रेडिट					

2. नियम 88घ के उपनियम (1) के अनुसार, आपसे अनुरोध किया जाता है कि या तो धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ उक्त अंतर इनपुट कर प्रत्यय का भुगतान प्ररूप जीएसटी डीआरसी -03 के माध्यम से करें प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग-ख में उसके ब्यौरे प्रस्तुत करें, और/या प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 01ग के भाग-ख में उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें अंतर इनपुट कर प्रत्यय के उस हिस्से के संबंध में कारणों को सम्मिलित किया गया है, जो सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है ।

3. यह ध्यान दिया जाए कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की कोई राशि सात दिनों की अवधि के पूर्णहोने के पश्चात् भुगतान नहीं की जाती है और जहां आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या कारण समुचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, यथास्थिति, उक्त राशि उस अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार वसूल की गई समझी जाएगी ।

4. यह एक प्रणाली जनित सूचना है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

भाग- ख

इनपुट कर प्रत्यय में अंतर की सूचना के संबंध में करदाता द्वारा उत्तर

सूचना की निर्देशसंख्या:

तारीख

अ. मैंने, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग** के **भाग क** में यथाविनिर्दिष्ट आधिक्य इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य रकम का, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित, पूर्णत: या भागत:, संदाय कर दिया है तथा उसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 का एआरएन		**शीर्ष के अधीन संदाय**	**कर अवधि**	**आईजीएसटी**	**सीजीएसटी**	**एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी**	**उपकर**	**ब्याज**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

और/या

आ. आधिक्य इनपुट कर प्रत्यय के उस भाग के संबंध में कारण, जो संदत्त किया जाना बाकी है, निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	**अंतर के संक्षिप्त कारण**	**ब्यौरे (बाध्यकारी)**
1	उक्त कर अवधि में (जिसके अंतर्गत किश्तों में माल की प्राप्ति संबंधी मामला भी है) मालों या सेवाओं की आवक आपूर्ति के प्राप्त न होने के कारण पूर्ववर्ती कर अवधि(यों) में उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
2	अनावधानता या त्रुटि या लोप के कारण पूर्ववर्ती कर अवधि(यों) में उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
3	ऐसे माल के, जो **प्ररूप जीएसटी 2ख** में दर्शित नहीं है, आयात के संबंध में उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
4	एसईजेड से आवक आपूर्ति, जो **प्ररूप जीएसटी 2ख** में दर्शित नहीं है, के संबंध में उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
5	पूर्ववर्ती कर अवधियों में प्रतिवर्ती इनपुट कर प्रत्यय का आधिक्य, जिसका चालू कर अवधि में पुन: दावा किया जा रहा है	
6	आपूर्तिकर्ता को पूर्ववर्ती कर अवधि में, नियम 37 के अनुसार प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का पुन: प्रत्यय	
7	आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती कर अवधि में, नियम 37क के अनुसार प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में विवरणी फाइल करने पर इनपुट कर प्रत्यय का पुन: प्रत्यय	
8	गलत ब्यौरों के साथ फाइल किया गया **प्ररूप जीएसटी 3ख** और उसे अगली कर अवधि में संशोधित किया जाएगा (जिसमें टंकन संबंधी गलतियां, गलत कर दर, आदि सम्मिलित हैं)	
9	कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

सत्यापन

मैं, ... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और यह घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम : .....

पदनाम/प्रास्थिति : .....

स्थान : .....

तारीख : .....

प्ररूप जीएसटी डीआरसी 01घ

(नियम 142ख देखे)

धारा 79 के अधीन वसूलनीय रकम की सूचना

निर्देश सं : .....

तारीख : .....

1. सूचना के ब्यौरे :

(क) वित्तीय वर्ष :

(ख) कर अवधि : ..... से ..... तक

2. अधिनियम की धारा(एं) या नियम, जिनके अधीन सूचना जारी की जाती है : धारा 79 के साथ पठित धारा 75(12) के लिए ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्स प्रदान किया जाए

3. संदेय कर, ब्याज या किसी रकम के ब्यौरे :

(रकम, रुपए में)

कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (आपूर्ति का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

आपको सात दिवस के भीतर संदाय करने के लिए निदेश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर अधिनियम की धारा 79 के उपबंधों के अनुसार बकाया की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी ।

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पदनाम : .....

अधिकारिता : .....

पता : .....

सेवा में

जीएसटीआईएन/आईडी

नाम : .....

पता : .....

टिप्पण :

।. केवल लागू खंड भरे जाएं ।"

.....

[फाइल सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

[आलोक कुमार]
निदेशक

टिप्पण--मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 3/2017(अ)-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं0 247(अ), तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 04/2023(अ)-केन्द्रीय कर, तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।